मध्यप्रदेश शासन

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग

एफ. क्रमांक सी-3-3/90/3/49 भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 1990

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र., ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय.— शासकीय सेवकों के विरुद्ध विभागीय जांच संबंधी कार्यवाही के निष्कर्ष।

इस विभाग की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आए हैं जिनमें किसी शासकीय सेवक द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण संबंधित आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु विभागीय जांच की गई एवं ऐसी जांच के परिणामस्वरूप उसे "चरित्रावली चेतावनी" या "शासन की अप्रसन्नता व्यक्त करने" जैसे दण्ड दिए गए। ये दण्ड मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निर्धारित दण्डों के अन्तर्गत नहीं आते। फलस्वरूप उपर्युक्तानुसार दिए गए दण्डों को नियमानुसार एवं पर्याप्त नहीं कहा जा सकता।

उपर्युक्त के कारण यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी शासकीय सेवक के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में उसके विरुद्ध लगाए आरोपों के सिद्ध पाए जाने पर संबंधित आनुशासिक प्राधिकारी द्वारा ऐसे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए संबंधित शासकीय सेवक को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में उल्लिखित दण्ड देने का निर्णय लेना चाहिए। साथ ही उपर्युक्त हेतु उसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो उपर्युक्त नियमों में उल्लेखित है।

शासन चाहता है कि उपर्युक्त निर्देशों का समुचित ढंग एवं कड़ाई से परिपालन सुनिश्चित किया जाए।

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग.